<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या-१४/२०१९/867/52-3-19-बजट(7)/2018</u>

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के आयोजन/संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-17/दस -2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के प्रस्तर-2(3) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अरबी फारसी मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 लाख में से प्रथम किश्त हेतु धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।
(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
(3) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2019 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के विगत वर्षो व चालू सत्र के पारिश्रमिक तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू शैक्षिक सत्र की परीक्षाओं के संचालन/ आयोजन पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-09-अरबी फारसी बोर्ड-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-17/दस -2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या-867(1)/52-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।